(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– II / निग. / सतना / भू.रा. / 2018 / 0336

1– प्रेमबाई पत्नी श्री सुरेश प्रसाद पटेल निवासी हरदासपुर थाना व तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

2– जानकी बाई पत्नी श्री सुन्दर लाल पटेल निवासी मतवारा थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

3– भनवती पत्नी श्री राजाराम पटेल निवासी हरदासपुर थाना व तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

4– कृष्णा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी नरौरा थाना व तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

5– सुमित्रा पत्नी श्री दारा सिंह पटेल निवासी नरौरा थाना व तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

6– रजनी पत्नी श्री प्रदीप कुमार पटेल समस्त पुत्रीगण 1 लगायत 6 स्व. श्री सुन्दर लाल पटेल निवासी भरौली थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

–प्रार्थिनीगण

बनाम

1– महेन्द्र पटेल

2– धनश्याम पटेल

3– राकेश कुमार

4– देवेन्द्र पटेल

दिनांक 10-1-18 को श्री अशोक भार्गव अभि. द्वारा प्रस्तुत।

10-1-18

पेशी 24-1-18

10/1/18

(अशोक कुमार भार्गव)

6— धीरेन्द्र कुमार पटैल पुत्रगण श्री राधेलाल पटेल समस्त निवासीगण ग्राम बरही तहसील मैहर जिला सतना म. प्र.

—प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29/12/2017 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म. प्र. प्रकरण क्रमांक 1043/2016—17/अपील महेन्द्र पटेल आदि बनाम प्रेमाबाई आदि। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना का प्रकरण क्रमांक 86/2015—16/अपील आदेश दिनांक 31/05/2017।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

निगरानी प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :—

1— यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, विवादित भूमि के भूमि स्वामी प्रार्थिनीगण के पिता स्व. श्री सुन्दर लाल पटेल थे। स्व. सुन्दरलाल पटेल के कोई पुत्र नहीं था प्रार्थिनीगण ही सुन्दरलाल पटेल की वैध वारिस होकर उत्तराधिकारी है।

2— यह कि, प्रार्थिनीगण के पिता सुन्दरलाल की मृत्यु के पश्चात प्रार्थिनीगण ने विचारण न्यायालय मे वारिसान के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 3 आदेश दिनांक 25/01/2016 के द्वारा प्रार्थिनीगण का वारिसान के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया।

3— यह कि, प्रार्थिनीगण का विवादित भूमि पर नामांतरण आदेश पारित होने के पश्चात रिस्पोडेण्टगण द्वारा विचारण न्यायालय मे एक रिव्यू प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया की विवादित आराजियों से सम्बन्धित अपील माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे

II/R/निग/सत/2018/0336

15-12-18

20/2/18

20-2-18

5-3-2018

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्र.क. 1047/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–12–2017 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 29–12–2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 29–12–17 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है :–

" माननीय उच्च न्यायालय व्दारा पूर्व में दिये गये स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया गया है और अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना के न्यायालय के प्रकरण कमांक 56/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 20–12–17 के अनुसार अपर जिला न्यायाधीश मैहर के व्दारा प्रकरण कमांक 37 ए/10 में पारित आदेश दिनांक 10–3–13 के

अनुसार मृतक खातेदार राधेलाल पटैल के स्थान पर प्रत्यार्थीगण (इस न्यायालय में अपीलांट) के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया है। व्यवहार न्यायालय व्दारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होता है। अनुविभागीय अधिकारी के व्दारा माननीय उच्च न्यायालय के व्दारा पारित आदेश दिनांक 22/3/13 के विरूद्व निष्कर्ष निकालते हुये उत्तरवादीगणों के पंक्ष में वारिसाना नामांत्रण किया था जिसे कतई विधि संगत नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के दोषपूर्ण आदेष को निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की है। यह सही है कि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी हैं एंव तहसील न्यायालय यदि व्यवहार न्यायालय के आदेश/डिकी के पालन में कार्यवाही करता है तब ऐस पालन आदेश के विरूद्व राजस्व न्यायालय में अपील/निगरानी न होकर आदेश पारित करने वाले व्यवहार न्यायालय के अपीलीय न्यायालय में अपील होगी। फलस्वरूप अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1047/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–12–17 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य